U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiij

पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.*ए.एस*

विभागीय अपील संख्या 13/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
सम्पतराज , कनिष्ट सहायक, कार्यालय पंचायत समिति, सुमेरपुर जिला –पाली।		मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।

विभागीय अपील अन्तर्गत राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91 (4)(ख) विरूद्ध आदेश क्रमांक जिपपा/संस्था/डीईसी/15/610 दिनांक 5.4.2016 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत पारित करते हुए अपीलार्थीया की दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलार्थीया स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार पंचायत प्रसार अधिकारी जि.प.पाली अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27 नवम्बर,, 2019

अपीलान्ट के द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करने के उपरान्त अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 तथा राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91 (4)(ख) के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट की अपील पर जिला परिषद कार्यालय पाली से टिप्पणी एवं मूल पत्रावली तलब की गई। जिसका अवलोकन किया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वर्तमान में कनिष्ठ सहायक, कार्यालय पंचायत समिति, सुमेरपुर जिला पाली के पद पर कार्यरत है। अपीलान्ट के उक्त पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया किः––

विभागीय अपील सं 13/19 सम्पतराज कनिष्ठ सहायक बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पाली

आप श्री सम्पतराज मेवाडा, रोकडपाल पंचायत समिति सुमेरपुर के पद पर रहते हुए कार्य अवधि 1.5.2000 से दिनांक 26.10.2002 की अवधि में आप द्वारा विभिन्न योजनाओं में ग्राम पंचायतों आदि को राशि 1000/– से अधिक का भुगतान रेखांकित चैक से भुगतान किया जाना चाहिये था, परन्तु आप द्वारा विभागीय आदेशों एवं वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए रेखांकित चैक से भुगतान न कर बियरर चैक से भुगतान कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया जिसके लिये आप दोषी है।

अपीलान्ट ने आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में अपना प्रत्युतर प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि उनके रोकडपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए पारित बिलों के भुगतान हेतु जो चैक काटे गये थे वह श्रीमान विकास अधिकारी के निर्देशानुसार किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं काटे गये बल्कि ग्राम पंचायत व फर्म के नाम से काटे गये है, सभी चैकों की राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों व फर्म के खाते में जमा हुआ है। इसमें किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया एवं कोई अनियमितता नहीं बरती है। परन्तु उनके द्वारा अपीलान्ट के प्रत्युतर का अवलोकन करने के उपरान्त भी अपीलान्ट पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध होना मान लिया तथा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.7.2018 को पारित कर दिया जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई यह भी कथन किया कि उसके द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रलेख चाहे गये थे वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति की ओर से भी राज्य पक्ष प्रस्तुत करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था कि रोकडपाल के द्वारा जारी बेरियर चैक मिडडेमिल, मजदूरी भुगतान, बालिका समृद्धि, प्रसुति सहायता व अन्य योजनाओं के भुगतान हेतु किसी व्यक्ति विशेष को जारी नहीं कर ग्राम पंचायत को समय पर भुगतान करने तत्कालीन विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जारी किये गये थे। जिसमें किसी प्रकार का गबन अथवा अनियमितता नहीं बरती गई है। परन्तु श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा इन तथ्यों की भी अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट को दण्डित कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है।

अपीलान्ट के द्वारा दौरान सुनवाई अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में दिये गये निर्देशों का अवलोकन कराया गया जिसमें पंचायत समिति की ओर से किये जाने वाले भुगतान हेतु दिये गये नियम दर्शाये गये जिसमें उक्त नियम के नियम 211. विधियों का आहरण में (1) धन केवल चैकों के जरिये आहरित किया जायेगा एवं अन्य व्यक्तियों को 1,000/– रूपये अधिक रकम का संदाय भी चैक के जरिये किया जायेगा। पक्षकार सीधे बैंक/खजाना/उप–खजाना से संदाय अभिप्राप्त कर सकेगें।'' जो कि राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 16.3.2011 से रेखांकित चैक जारी करने का प्रावधान हुआ इससे पूर्व ऐसा निधियों के आहरण के मामलें में भुगतान किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा अपने उच्चाधिकारी यानि विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ही ग्राम पंचायतों एवं सम्बन्धित फर्मो के नाम से चैक जारी किये गये थे, न कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से। इसके अतिरिक्त जिला परिषद पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह कही स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा किस व्यक्ति विशेष के नाम से बिययर चैक जारी किया गया था। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीाकर किया जावे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली के द्वारा पारित अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने बाबत, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में विभागीय पैरोकार ने निवेदन किया कि श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही सम्पादित करते हुए तथा पंचायती राज नियमों में पंचायत समिति स्तर पर जारी किये जाने वाले भुगतान बाबत दिये गये निर्देशों का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों/प्रेषित की गई टिप्पणी व विभागीय पत्रावली एवं पंचायती राज नियमों का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट रोकडपाल के पद पर पंचायत समिति सुमेरपुर में कार्यरत रहने के दौरान उन पर रेखांकित

चैक से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ फर्म को भुगतान न कर बियरर चैक से भुगतान करने का आरोप निर्धारित करते हुए उक्त कृत्य हेतु दोषी माना है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में धारा 211 निधियों का आहरण में धन राशि चैकों के जरिये आहरित करने, तथ 1000/- रूपये से अधिक राशि का संदान भी चैक के जरिये पाने वाले के खाते में किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। एवं रेखांकित चैक जारी करने हेतु उक्त नियम वर्ष 2011 में संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई चैक जारी किया गया है जिससे उसको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया। चैक जारी करने की कार्यवाही में अपीलान्ट एवं विकास अधिकारी दोनों ही सहभागी होते है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों एवं फर्म को जारी होने वाले चैक की राशि भी विकास अधिकारी के चैक प्रमाणीकरण के उपरान्त ही देय होती। अपीलान्ट के द्वारा राजकीय राशि के गबन तथा किसी प्रकार की अनियमितता किये जाने सम्बन्धी कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार समस्त तथ्यों/दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 को निरस्त जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर